न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **286 / 2022**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. जीवनराम पुत्र सुखराम 2. मोहनराम पुत्र सुखराम 3. रतीराम पुत्र सुखराम 4. हरिराम पुत्र सुखराम 5. सोहनराम पुत्र सुखराम जातियान–विश्नोई, निवासीगण ग्राम कानासर, तहसील–बाप, जिला जोधपुर।		1. सलोचना पत्नी जगदीश कुमार 2. प्रवीण पुत्र जगदीश कुमार 3. पवन पुत्र जगदीश कुमार 4. रामकुमार पुत्र बनवारीलाल 5. नरसिंगा पुत्र बनवारीलाल 6. अमरीक पुत्र बनवारीलाल 7. विधुर पुत्र बनवारीलाल 8. कृष्ण पुत्र हेतराम जाति विश्नोई, निवासीगण गंगानगर, हाल ग्राम कानासर, तहसील–बाप, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 29.10.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बाप जिला जोधपुर जो राजस्व आवेदन संख्या 35/2021 अनवान सलोचना वगैराह बनाम पूनाराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री सुगनमल, सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 01 मई, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खेत ख0सं0 871 रकबा 150 बीघा 4 बिस्वा भूमि ग्राम कानासर में स्थित है। जिसकी पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 16.4.2021 के अनुसार पत्थरगढी की जावें। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 के उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 29.10.2021 के द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपने पेश प्रार्थना पत्र में अपीलान्टस व अन्य प्रफार्मा रेस्पोडेन्टस को बिना कोई नोटिस तामील करवाये, बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये ही पत्रावली को राजस्व कैम्प कोर्ट में एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया, इस आधार पर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। रेस्पो.सं. 9 ता 100 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिये उनकी तामीली की छूट दी गई।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस ग्राम कानासर के मूल ख0सं0 1080 के भाग 1080/2 के रेकर्डेड खातेदार है जो ख0सं0 871 के बिल्कुल चिपता हुआ स्थित है। रेस्पोडेन्टस के द्वारा अन्य सहखातेदारान को पक्षकार बनाया

लिया जो निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त पूर्व में करवाई गई पैमाइश की कार्यवाही भी एकतरफा व विवादित रूप से की गई है, उक्त पैमाइश रिपोर्ट मौके पर तैयार नहीं की गई और न ही किसी को सूचना दी गई, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया है क्योंकि पक्षकारान की मौजूदगी में निर्विवादित पैमाइश रिपोर्ट आने के उपरान्त ही धारा 128 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे में जो अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखकर अपीलान्टस व अन्य पक्षकारान को कैम्प कोर्ट के सुनवाई के कोई नोटिस जारी नहीं करते हुए जो आदेश पारित किया गया वो निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2021 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं. 01 से 08 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश करते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी की कृषि भूमि खेत ख0सं0 871 रकबा 150.04 बीघा ग्राम कानासर की राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के अनुसार अपने हिस्से पर कब्जा काश्त की है एवं आदिनांक तक लगातार कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है जिसमें प्रार्थीगण की अलग–अलग रहवासीय ढाणीयां, पानी का टांका, पशुओं के बाडे इत्यादि बना रखे है।

रेस्पो0 सं. 01 से 08 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनकी ओर से उक्त खातेदारी भूमि की पैमाइश हेतु तहसीलदार बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार बाप की ओर से जारी पत्र कमांक 105 दिनांक 16.4.2021 को उक्त भूमि की पैमाइश किये जाने के आदेश दिये जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उसी दिनांक को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिती में मुस्तकिल बिन्दू से पैमाइश करते हुए मौका फर्द तेयार कर प्रार्थीगण को सुनाई गई तथा मौका फर्द तहसील कार्यालय में पेश कर दी गई। तत्पश्चात प्रार्थीगण के द्वारा उक्त पैमाइश अनुसार अपनी भूमि के चारो ओर खूंटे रोपने लगे तब पडौसी खातेदार अपीलान्टस व अन्य अप्रार्थीगण के द्वारा व्यवधान कर खूंटे रोपने से मना कर दिया। उक्त समय पर रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि उक्त पर काश्त कर रखी हुई थी परन्तु वहां पर तारबन्दी नहीं होने से काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा था। तब रेस्पोडेन्टस के द्वारा दिनांक 16.4.21 को की गई पैमाइश अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा अपनी खातेदारी की भूमि के सभी पडौसी खातेदारान को आवश्यक पक्षकार बनाया गया।

अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया परन्तु अपीलान्टस एवं अन्य रेस्पोडेन्टस को रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के बावजूद न तो वे उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा अपना प्रत्युतर पेश किया गया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रकरण में तहसीलदार की ओर से पेश जवाब अनुसार रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 8 की भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक

16.4.21 के अनुसार किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार से कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है तथा बहाल रखे जाने योग्य है। अपीलान्टस के द्वारा अपनी अपील में ऐसे कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस के खसरा संख्या 871 व ख0सं0 1080 के बीच में एक रोड दर्शाई हुई है जबकि मौके पर रोड नहीं है। रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा करवाने हेतु जो पत्थरगढी करवाये जाने बाबत अपीलाधीन कार्यवाही निष्पादित करवाई गई है वो पूर्ण रूप से उचित है एवं बहाल रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट में ग्राम कानासर के ख0सं0 871 रकबा 150.04 बीघा भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 16.4.2021 के अनुसार किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट के ख0सं0 1080/2 रकबा 10 बीघा व रेस्पोडेन्टस के ख0सं0 871 रकबा 150.04 बीघा के मध्य ख0सं0 1006 रकबा 34.10 बीघा गैर मुमकीन रास्ता आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बाप के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 में इस प्रकार से आंशिक संशोधन किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सूचित करने के पश्चात ख0सं0 871 के सीमाज्ञान की कार्यवाही की जावे। तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्णय आज दिनांक 01 मई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
जोधपुर